

28.6.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत/केस
कोर्ट.... 16.10.17.....मे पेश हुई।
पक्षकारान उप./अनु. पक्षकारान मे
राजीनामा नही होने से पत्रावली निस्तारित
नही की जा सकती है। संबन्धित न्यायालय
को वापस लौटाई जाती है। 15/11/17
दिनांक 16.10.17 को पेश है। 18-09

16.10.17

पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित
उत्तिवादी संख्या 4 के समक्ष जोकेत
पेश करे। पत्रावली दिनांक 17.11.17
को पेश हो।

पत्रावली पेश उपयपस
उपस्थित/पत्रावली अधिकार जी
द्वारा कस.प.प. है। पत्रावली
दिनांक 17.11.17 को पेश हो।

आदेश से रीट

14-12-17 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित। P.O. को
द्वारा राजस्व कार्य के ब्यस्त हो वास्तु उत्तिवादी सं.प.प.
तलकी हेतु पत्रावली दिनांक 15-12-17 को पेश हो। 15.0
उत्तिवादी

15-12-17 पत्रावली पेश हुई। उक्त पक्ष उपस्थित। उक्त पक्ष को
को उत्तिवादी सं.प.प. तलकी काका जोकेत कस.प.प. पेश किया
जाके काका दिनांक 17.11.17 को उक्त पक्ष को
उत्तिवादी सं.प.प. तलकी काका जोकेत कस.प.प. पेश करी
जाके के काका वादी जाके का कास 15.09.15 काकी
के तलकी 2वालीज जिमा जाके ही पत्रावली के काका
शुभार श्री जाके के काका काका है।

उपस्थित अधिकारी
भीलकामा (राज.)